न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्या **19/2016** अपील (राजस्व)

श्री जितेन्द्र रावल पिता स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार ब्राम्हण, निवासी रामा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मनीष पिता ओमप्रकाश ब्राम्हण, निवासी रामा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री ऐला बाई पत्नि श्री सुरेशचन्द्र रावल (ब्राम्हण), निवासी रामा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री महेन्द्र रावल पिता स्व. श्री सुरेश कुमार ब्राम्हण, निवासी रामा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
4. सुश्री मिनाक्षी रावल पिता स्व. श्री सुरेश कुमार ब्राम्हण, निवासी रामा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर दिनांक 28.05.1992 नामान्तरकरण संख्या 118</u>

उपस्थित : श्री रामलाल मेघवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री भगवतीलाल पुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4

<u>निर्णय</u>

दिनांकः—26.12.17

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है अपीलान्ट की मौरूसी जायदाद खाता संख्या 42/31 आराजी संख्या 2973 रकबा 0.1000, खाता संख्या 44/32 आराजी संख्या 3071 से 3074 कुल किता 4 रकबा 0.0500, खाता संख्या 41/30 आराजी संख्या 4789 से 4799 कुल किता 11 रकबा 2.2900 हैक्टर, खाता संख्या 510/461 आराजी संख्या 4783 से 4788 कुल किता 6 रकबा

0.9400 ग्राम रामा पटवार क्षेत्र रामा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़गॉव, में स्थित हैं। उक्त भूमि में मुल पुरूष अर्जुनलाल होकर अर्जुनलाल के चार पुत्र क्रमशः सुन्दरलाल, सुरेशकुमार, ओमप्रकाश एवं नन्दलाल हैं। जिसमें से मुल पुरूष अर्जुनलाल उसके पुत्र सुन्दरलाल, सुरेश कुमार व ओमप्रकाश फौत हो चुके हैं। अपीलीय नामान्तरकरण में सुरेश कुमार के फौत होने से उसके वारीसानो में ऐलाबाई के नाम पर नामान्तरकरण 1/2 हिस्से से दर्ज हो गया है दुसरा हिस्सा मनीष पिता सुरेश कुमार नाबालिंग बविलायत माता ऐलाबाई 1/2 के नाम से खुल गया है जबकि मनीष की बजाय जितेन्द्र रावल, महेन्द्र रावल व मिनाक्षी रावल के नाम से खुलना चाहिये। जबकि मनीष कुमार ओमप्रकाश जी का लड़का हैं। जिसका नामान्तरकरण 119 में खुला हुआ हैं। अतः कृपया मृतक सुरेश कुमार के वारीसानो की सही जॉच कर सही वारीसानो के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेंटगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री भगवतीलाल पुरोहित द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर ईकबालिया अपील को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया कि स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार के सही विधिक वारीसानो के नाम नामान्तरकरण में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 118 जिसमें सुरेशकुमार पिता अर्जुनलाल की मृत्यु के उपरान्त सुरेश कुमार के स्थान पर मनीष पिता सुरेश कुमार नाबालिंग बविलायत माता ऐलाबाई के नाम 1/2 से दर्ज किया गया है जबकि संलग्न नामान्तरकरण 119 में भी मनीष का नाम दर्ज होकर मनीष पिता ओमप्रकाश बता रखा हैं। रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा भी स्वर्गीय सुरेश कुमार के विधिक वारीसानो में ऐलाबाई पत्नि जितेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्रकुमार पुत्र मीनाक्षी रावल पुत्री बताया हैं। अतः उक्तानुसार नाम दर्ज होने चाहिये। अपीलीय नामान्तरकरण में सहवन से गलत नाम दर्ज हो गया हैं। जिसे निरस्त किये जाने की ईस्तदुआ की गई हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण 118 दिनांक 28.05.92 ग्राम रामा में स्वर्गीय सुरेश कुमार के विधिक वारीसानो के नाम खोला गया नामान्तरकरण में सहवन से मनीष कुमार का गलत नाम दर्ज हो गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलीय नामान्तरकरण 118 को निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव को प्रकरण पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि स्वर्गीय सुरेश कुमार पिता अर्जुनलाल ब्राम्हण निवासी रामा के विधिक वारीसानो की सही जॉच कर पुनः नये सीरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर